

प्रेषक

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश

पत्रांक स0शि0अ0-नि0का0 / 538 / 2019-20 लखनऊ दिनांक: 26 मई, 2020

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को कक्षा -1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रवेश तथा लाटरी के सम्बन्ध में:

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या स0शि0अ0-नि0का0/0224/2019-20 लखनऊ, दिनांक 05 मई 2020 के द्वारा कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन के दृष्टिगत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये बच्चों को कक्षा -1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रवेश हेतु आवेदन, आवेदनों के सत्यापन तथा लाटरी हेतु प्रक्रिया एवं समय-सारिणी संशोधन किया गया है, तत्कम में प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बढ़ने के कारण आर0टी0ई0 12 (1) (ग) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार पुनः संशोधन कर निर्धारित किया जा रहा है, जो कि निम्नवत् है :-

चरण	आवेदन करने की तिथियां	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि	लाटरी निकालने की तिथि	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक
प्रथम	02 मार्च 2020 - 02 जून 2020	03 जून 2020 - 05 जून 2020	08 जून 2020	10 जुलाई 2020
द्वितीय	10 जून 2020 - 10 जुलाई 2020	11 जुलाई 2020 - 13 जुलाई 2020	15 जुलाई 2020	30 जुलाई 2020

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सारिणी का संज्ञान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही अपने - अपने जनपदों में समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०सं०/आर०टी०ई०/नि०का०/ 538 /2019-20
प्रतिलिपि-

दिनांक: 26/मई 2020

- 1- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 3- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 4- निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी समस्त जनपद उ०प्र०।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद उ०प्र०।
- 7- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ०प्र०।

016
di


(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।